न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 274/2003

आरसीएमएस नं. :— 2003/00084

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहर सिंह
2. मूलाराम

} पिसरान इमरताराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 12.03.2003, प्र. सं. 423/2002

अनवान मोहर सिंह आदि बनाम सरकार

उपस्थितिः—

श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 23.6.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपील को अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिमसें कथन किया कि रोही मौजा भिरानी के ख. नं. 555 की 8.10 बीघाबरानी भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

चक सिवाय चक नाकाबिल कास्त गैर मुमकिन पायतन दर्ज है। ये भूमि वादी के पिता के नाम थी जो गलीत रूप से गैर मुमकिन पायतन दर्ज हुई है। वादी ने उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर मु0 पायतन एवं सिवाय चक नाकाबिल काश्त है जिसे आवंटित नहीं किया जा सकता है। प्रश्गनत भूमि पर रेस्पोडेण्ट का संवत 2012 से कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में जिरह का मौका नहीं दिया गया ना ही वाद मे कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। रेस्पोडेण्ट ने वाद पत्र बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस दिये पेश किया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है।लेकिन अपील में अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील पत्रावली में संलग्न है। इस निर्णय में प्र[illegible] रोही मौजा भिरानी के ख0 नं0 555 की 8.10 बीघाभूमि का [illegible] को खाते[illegible] काश्तकार घोषित किया है एवं गैर मुमकिन पायतन के स्थान [illegible] खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सिवाय चक नाकाबिल काश्त गैर मुमकिन पायतन है जिसके किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के धारा भी ऐसा रकबा प्रतिबंधित है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी ये प्रतिबंधित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2003 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:56 IST
Reason: SelfAttested